भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *176

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

***176. डॉ. थोल तिरूमावलवन :**

डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक तमिलनाडु सहित देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यक्रम/उपलब्धियों का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में उक्त योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है/आकलन किया है;

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों सहित निष्कर्षों/कमियों का ब्यौरा क्या है;और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि उक्त योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं/बीमार नवजात शिशुओं/बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क देखभाल मिले?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02 अगस्त, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *176 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में तमिलनाडु सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) से लाभान्वित गर्भवती महिलाओं का विवरण निम्नानुसार है;

राज्य का नाम	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) से लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की संख्या			
	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल से जून) दिनांक 23.07.2024 की स्थिति के अनुसार एक्ससे किया गया
भारत	15288954	18524521	14322175	1835846
तमिलनाडु	546208	517981	642986	130445

(ख) और (ग): जेएसएसके योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरे वर्ष नियमित रूप से जागरूकता पैदा करने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित/आरंभ किए जाते हैं।

i. मास मीडिया/मिड मीडिया सहित सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) कार्यनीतियों के माध्यम से उक्त योजना को लोकप्रिय बनाना।

ii. जमीनी स्तर के लाभार्थियों के साथ एएनएम और आशा जैसे फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पारस्परिक संचार।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त, जागरूकता पैदा करने वाले प्रस्तावों को बजटीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ): सरकार समय-समय पर क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें और विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय दौरे करके जेएसएसके के कार्यान्वयन की समीक्षा/मूल्यांकन करती है। जेएसएसके के शुभारंभ से लेकर अब

तक, दस कॉमन समीक्षा मिशन (सीआरएम) भी आयोजित किए गए हैं। साथ ही, जेएसएसके के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरों की प्रणाली लागू की गई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (2019-21) के अनुसार, कुल संस्थागत प्रसव एनएफएचएस-4 (2015-16) की अवधि में 78.9% से बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019-21) की अवधि में 88.6% हो गया है।

(च): सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं/बीमार शिशुओं को जेएसएसके के तहत जन स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क परिचर्या प्राप्त हो, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में समय-समय पर क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें और फील्ड दौरे करके जेएसएसके के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा।

ii. पत्रों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सहित राज्य सरकारों के साथ कई माध्यमों से संपर्क।

iii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में बजट प्रावधान रखा जाता है ताकि जेएसएसके के अंतर्गत आहार, दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं, निदान, प्रसव और सिजेरियन सेक्शन, रेफरल परिवहन, रक्त (यदि आवश्यक हो), परिवहन आदि जैसी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

****